

# FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

उपखण्ड - जालिमरी मुकाम नीमराना (अलवर)  
 खसिवावाडी वनाम विजय सिंह  
 प्रार्थना पत्र 212 नं० 190 सन् 13-9-2019

<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए</p>
<p>13-9-19 को मद्रास पत्रालय प्रेषित          के साथ पेपर ड्यूटी दर्ज किये हुए हैं।          वकील प्रदीप उपाध्याय वकील प्रदीप          को एक पक्षीय वदत सुनी गयी इला-          केवाल का आवेदन किता गरा प्रदीप          का प्रमाण प्रमाण इलाका वगत है।          सुदि का का केवलक मद्रासी इलाका          भी प्रदीप के पत्र में होता प्रदीप          होता है। का का गरीबी वकील पेपरी          तक मद्रासी का अस्पर्ध मिसे-          धारता पत्रसे से फावड किता          जाया है कि वे विवादि काठका          मद्रास 20, 21/53, 19, 204, 150, 207,          208, 156 वगैर मद्रास वदत मद्रास          मिस- मलम (वगत) के मद्रास वकील          की प्रमाण के वगत वदत। इस संबंध          में मद्रास का का का प्रमाण मद्रा-          मद्रास मद्रास मद्रास मद्रास मद्रास          अपना जकार पत्र मद्रास मद्रास मद्रास          मद्रास मद्रास मद्रास मद्रास मद्रास          मद्रास मद्रास मद्रास मद्रास मद्रास          मद्रास मद्रास मद्रास मद्रास मद्रास</p> <p style="text-align: right;">             248-              उपखण्ड अधिकारी              नीमराना (अलवर) राज         </p>	

तारीख हुकम

21/1/24

माला यह पताती घुसबाक के साद फेरा  
 डरि। पताती में बाक-पा अदम फेरी  
 व अरम हाजरी में खरीज हो चुका है।  
 अतः धारणा-पर 212 भा.न को भी अदम  
 फेरी व अरम हाजरी में खरीज  
 किया जाता है। पताती फेर अरम होकर  
 नगरे में फेर है। बाक धरि घुस बाक रहे।

जे

उपखण्ड अधिकारी  
 नैसलगा (कोडपुतली-बरोड)